अनुवाद

"निगम हिंदी पत्राचार का स्वागत करता है"

दूरभाष Phone : 23234092
फैक्स Fax : 23234537
टॉल फ्री : 1800-11-2526

मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली 110002
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

www.esic.nic.in

संख्या : ए-40/12/1/2009-लेखा-4 दिनांक : 01.04.2011

सेवा में,

सभी अपर आयुक्त-क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी निदेशक/
प्रभारी संयुक्त निदेशक/निदेशक(चिकि.) दिल्ली/
निदेशक(चिकि.) नोएडा/ अपर आयुक्त-राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी/
सभी चिकित्सा अधीक्षक/क.रा. मॉडल अस्पताल/
चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. अस्पताल, रोहिणी/ओखला/झिलमिल ।

विषय : डी.सी.आर.जी. की रोकी गई राशि की निर्मुक्ति ।

महोदय,

मुख्यालय के ध्याना में ऐसे दृष्टांत आए हैं कि डी.सी.आर.जी. की रोकी गई राशि अंतिम वेतन प्रमाण पत्र/बेबाकी प्रमाण-पत्र/सेवा सत्यापन प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद भी निर्मुक्त नहीं की गई है ।

पेंशनभोगियों से डी.सी.आर.जी. की रोकी गई राशि की गैर-अदायगी के संबंध में शिकायतों से बचने के लिए निर्णय लिया गया है कि डी.सी.आर.जी. की रोकी गई राशि अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र/बेबाकी प्रमाण-पत्र/सेवा सत्यापन प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद तुरंत निर्मुक्त की जाए । सेवानिवृत्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर कोई भी प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के मामले में रोकी गई राशि सेवानिवृत्ति के बाद छः महीने की अवधि की समाप्ति पर तुरंत निर्मुक्त की जाए। सभी कार्यालयाध्यक्षों से निवेदन है कि वे सुनिश्चित करें कि रोकी गई राशि को निमुक्त करने के प्रमाण-पत्र शीघ्रातिशीघ्र जारी किए जाएं तथा ऐसे प्रमाण-पत्र 6 महीने की विहित अवधि के भीतर जारी करना प्रशासन का उत्तरदायित्व है विशेषतः इस तथ्य के दृष्टिगत कि परिशोधित नियमों के अनुसार उपदान की रोकी गई राशि बड़ी राशि होती है ।

निवेदन है कि उपर्युक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ।

यह निदेशक(वित्त) के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(आर. केशवदास)
संयुक्त निदेशक(वित्त)

प्रतिलिपि :

1. संयुक्त निदेशक(वित्त)/उप निदेशक(वित्त)/सहायक निदेशक(वित्त) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

संयुक्त निदेशक(वित्त)

NCM
D.NO-65
29.4.2011